मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जनवरी 2010—माघ 5, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्र. 585-42-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१०.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१०.

विषय-वस्तु.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३ सन् २००९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

३. धारा ९ का संशोधन.

४. धारा १५ का संशोधन.

५. धारा २२ का संशोधन.

६. धारा २७ का संशोधन.

७. धारा ३१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक २ सन् २०१०

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१०

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २५ जनवरी २०१० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१० है.

(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३ सन् २००९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ३ सन् २००९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ से ७ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ९ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ९ में, खण्ड (सात), (नौ) और (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमश: स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(सात) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, भोपाल;

(नौ) निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल;

(बारह) कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती, जो एक विख्यात कलाकार होगा;''.

धारा १५ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा खण्ड (१) में, खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमश: स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

''(छह) निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल;

(सात) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, भोपाल;''.

धारा २२ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २२ में, खण्ड (पांच) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु ऐसे किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आयुक्त/संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न न हो कि संस्था की स्थापना या संस्था द्वारा चाहे गए संकायों के विस्तार के लिए उसके द्वारा अनुज्ञा दी गई है;''

६. मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (२) में, द्वितीय परंतुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम (कोलन) स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :— धारा २७ का संशोधन.

"परंतु यह भी कि प्रथम कुलपति ऐसी कालावधि तक पद धारण करेगा जिसके कि लिए वह प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया है और वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपना पद धारण करने से प्रविरत नहीं रहेगा.".

७. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (२) में, शब्द "साधारण परिषद्" का लोप किया जाए. धारा ३१ का संशोधन.

रामेश्वर ठाकुर
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल :
तारीख : २५ जनवरी २०१०

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2010

क्र. 586-42-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में **राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2010** (क्रमांक 2 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 of 2010

RAJA MAN SINGH TOMAR SANGIT EVAM KALA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Madhya Pradesh Act No. 3 of 2009 to be temporarily amended.
3. Amendment of Section 9.
4. Amendment of Section 15.
5. Amendment of Section 22.
6. Amendment of Section 27.
7. Amendment of Section 31.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 2 of 2010.

RAJA MAN SINGH TOMAR SANGIT EVAM KALA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2010.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th January 2010.]

Promulgated by the Governor in the Sixtieth year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 3 of 2009 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 3 of 2009) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 to 7.

Amendment of Section 9.

3. In Section 9 of the Principal Act, for clauses (vii), (ix) and (xii), the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(vii) the Director, Allauddin Khan Sangit aur Kala Academy, Bhopal;

(ix) the Director, Sahitya Academy, Bhopal;

(xii) nominee of the visitor who shall be an eminent artist;".

Amendment of Section 15.

4. In Section 15 of the Principal Act, in sub-section (1), for clauses (vi) and (vii), the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(vi) the Director, Sahitya Academy, Bhopal;

(vii) the Director, Allauddin Khan Sangit Aur Kala Academy, Bhopal;".

Amendment of Section 22.

5. In Section 22 of the Principal Act, in clause (v), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that no such application shall be considered unless it is accompanied by a certificate issued by the Commissioner/Director, Culture, Madhya Pradesh to the effect that the establishment of the institution or the expansion of faculties sought by the institution has been permitted by him;".

Amendment of Section 27.

6. In Section 27 of the principal Act, in sub-section (2), in second proviso, for full-stop,

the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that the first Vice-Chancellor shall hold office for the period for which he is initially appointed and he shall not cease to hold his office on attaining the age of seventy years.".

Amendment of Section 31.

7. In Section 31 of the principal Act, in sub-section (2), the words "General Council" shall be omitted..

RAMESHWAR THAKUR
Governor,
Madhya Pradesh.

Bhopal :
Dated, the 25th January 2010.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.